पत्र संख्या–22/अनु0–04/2022 सा0प्र0.13350

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद।

पटना–15, दिनांक–2-8-22

विषय :– सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अर्हता की सशर्त्त छूट के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक–10073 दिनांक–18.12.2008 द्वारा राज्य महादलित आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत मृत महादलित सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की गयी है। कालांतर में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत बिहार समूह–'घ' (भर्ती एवं सेवा–शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रवृत्त हो जाने के उपरांत महादलित समुदाय के सरकारी सेवकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में उनके शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में कतिपय पृच्छाएँ प्राप्त हुई हैं।

2. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया जाता है कि सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अर्हता में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र संख्या–10073 दिनांक–18.12.2008 द्वारा दी गई छूट के प्रावधान पूर्व की भांति प्रभावी हैं।

D:MINHAJ SIR LETTER

3. अतः अनुरोध है कि सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र संख्या–10073 दिनांक–18.12.2008 के अनुरूप ही कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

02/08/2022

(रजनीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–22/अनु0–04/2022 सा०प्र० 13350 पटना–15, दिनांक 2-8-22

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालय/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/08/2022

सरकार के उप सचिव।

D:MINHAJ SIR LETTER